# <u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।</u>

उपस्थितः पीठासीन अधिकारी– गौरव शर्मा (एच० जे० एस०)
J O I.D. U P 6276
जमानत प्रार्थना पत्र सं० – 406/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं० – 1116/2026

हरिशंकर उर्फ सोनू पुत्र रविन्द्र, निवासी– मकान सं०–बी–61, लाल बाग, थाना–लोनी बॉर्डर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

–––––––प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

उ०प्र० राज्य

––––––––––विपक्षी

मु०अ०सं०– 29/2026
धारा–109(1),61(2),3(5) भा०न०सं०
थाना– लोनी बॉर्डर , गाजियाबाद।

<u>दिनांक 16–03–2026</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त हरिशंकर उर्फ सोनू पुत्र रविन्द्र की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र मु०अ०सं०–29/2026, धारा–109(1),61(2),3(5) भा०न०सं०, थाना– लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार श्रीमती संजू देवी पत्नी हरिशंकर द्वारा शपथ–पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस प्रार्थना पत्र के अलावा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– मैनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा हरिशंकर द्वारा थाना– लोनी बॉर्डर पर दिनांक 26.01.2026 को समय 19:44 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि प्रार्थी के पड़ोस में गगन, अभि पुत्रगण सुरेश, सुरेश पुत्र नामालूम रहते हैं, ये लोग प्रार्थी से होली दिनांक 14.03.2025 पर प्रार्थी एवं गगन अभि में हुए झगडे के कारण रंजिश मानते हैं इसलिए आये दिन गगन, अभि व इनका पूरा परिवार प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी से लड़ाई व झगड़ा करते हैं, पूर्व में प्रार्थी की पत्नी संजू को अकेला पाकर मोटरसाइकिल पर गगन अभि ने छेडछाड़ की थी। दि० 30.12.2025 को पार्क में प्रार्थी की पत्नी संजू टहल रही थी, तभी नकाबपोश बाईक सवारों ने प्रार्थी की पत्नी पर रेकी की थी, जिसकी सूचना लालबाग चौकी में दी थी। दि० 25.01.2026 समय करीब 7:25 PM के प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ सब्जी मंडी से सब्जी लेकर लौट रहा था, तभी दो नकाबपोश मोटर साइकिल सवारों ने प्रार्थी की पत्नी को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। प्रार्थी की पत्नी को 50 सइया अस्पताल ले जाया गया, हालत गंभीर होने की वजह से दिल्ली के अस्पताल(जी०टी०बी) रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है कि प्रार्थी की पत्नी पर जानलेवा हमला गगन, अभि व सुरेश ने कराया है। प्रार्थी की पत्नी के उपचार में व्यस्त होने के कारण तहरीर में विलंब हुआ। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व फर्जी रूप से फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मुकदमा दिनांक 26.01.2026 को अभियुक्तगण गगन, अभि, सुरेश एवं दो नकाबपोश बाइक सवारों के नाम दर्ज कराया था परंतु थाना हाजा की पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त जो कि उक्त मुकदमे में वादी है, को ही उक्त मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास का झूठा व मनगढंत आरोप लगाते हुए अभियुक्त

बनाया गया है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी को बडे लाड–प्यार से रखता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त व उसकी पत्नी के मध्य किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद न तो पूर्व में कभी रहा है और न ही मुकदमा उपरोक्त के दौरान से कभी रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के पड़ोसियों गगन, अभि पुत्रगण सुदेश के द्वारा दिनांक 14.03.2025 को भी प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी मंजू देवी के साथ मारपीट की घटना कारित की थी तथा यहीं से रंजिश बढ़ती चली गयी, जिसकी सूचना प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस को भी दी गयी थी। थाना हाजा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटनाक्रम की बाबत न तो कोई सी०सी०टी०वी० फुटैज व सी०डी०आर० जैसा पुख्ता सबूत विवेचना में शामिल किया और न ही घटना की बाबत कोई स्वतंत्र साक्षी ही मौजूद है। केवल अभियुक्तगण के इकबालिया बयानों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को मुल्जिम बनाया गया है तथा जिस मोबाईल नं०– 9217xxxxxx से सह–अभियुक्तगण से बात करना/रैकी करना सी०डी० में बताया गया है और न ही इसकी सी०डी०आर० मौजूद है। उस नंबर का प्रार्थी/अभियुक्त से कोई लेना–देना नहीं है और यह मोबाईल नंबर किसी मीरा पुत्री विपिन कुमार, नामक महिला के नाम से आज भी चालू है। प्रार्थी/अभियुक्त से मुकदमा उपरोक्त की बाबत किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। सहअभियुक्तगण से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई सरोकार/संबंध नहीं है। थाना हाजा पुलिस द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व उसकी पत्नी के मध्य अनबन रहने का झूठा कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में फंसाया गया है, जबकि उस अज्ञात व्यक्ति का नाम जानबूझकर कहीं नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्वकालिक आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सीधे–सादे व सम्मानित परिवार का व्यक्ति है, जिसके उक्त मुकदमे में जेल में निरूद्ध रहने से प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार व आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की चुटैल पत्नी की देख–रेख भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी व छोटे–छोटे बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी प्रार्थी/अभियुक्त पर ही है। प्रार्थी/अभियुक्त का दौरान वाद विचारण माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोडकर भागने व गवाहान तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु माकूल जमानत देने को तैयार है। उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की पैरोकार संजू देवी पत्नी हरिशंकर(जो कि उपरोक्त घटना की चुटैल है) द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया है कि उसका अपने पति से कोई विवाद आज तक नहीं रहा है तथा हरिशंकर उसको व उसके बच्चों को बडे लाड–प्यार से रखते हैं। थाना हाजा की पुलिस द्वारा मेरे पति एवं मुझ पर लगाए गये सभी आरोप बेबुनियाद एवं आधारहीन है, उसके पति ने किसी भी प्रकार की वारदात या हमले को अंजाम नहीं दिलवाया है तथा पुलिस द्वारा उसके पति को ही उपरोक्त मुकदमे में अपराधी बनाकर जेल भेज दिया गया है। मुकदमे से संबंधित मोबाइल नं०–9217xxxxxxx की रैकी का केस डायरी में जिक्र किया गया है, वह मेरे पति या मेरा मोबाइल नंबर नहीं है तथा दिल्ली में किसी मीरा नामक महिला के नाम से संचालित है।

6– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पत्नी पर जान से मारने की नियत से गोली से फायर किया है। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी संजू द्वारा दाखिल शपथ पत्र के संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि संजू पत्नी हरिशंकर, प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी व सामान्य घरेलू महिला है, तथा अभियुक्त व उसके परिवार के पूर्ण प्रभाव में है तथा उसको उपरोक्त मुकदमे में बचाना चाहती है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7– प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त पर सह–अभियुक्त के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी मुकदमा की पत्नी पर आपराधिक साजिश रचते हुए, साझा इरादे के साथ गोली मारकर हत्या का प्रयास करने का अभियोग है। **गोली मारकर हत्या का प्रयत्न** करने का अभियोग एक गंभीर अभियोग है, जिसमें **10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा** का प्रावधान है। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि **प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण(जिसमें वादी मुकदमा, जो कि चुटैल का पति है) के साथ मिलकर संजू को मारने की योजना बनायी थी**, जिसका सौदा अभियुक्तगण के साथ एक लाख रूपये में तय होना दर्शित किया गया है। प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी विदित है कि वादी मुकदमा **हरिशंकर ने विभोर शर्मा से अपनी पत्नी संजू को मरवाने के लिए एक पिस्टल व 3 कारतूस लिये थे** तथा योजना के मुताबिक दि० 25.01.2026 को विनीत अपने भाई अर्जुन व अपने साथी राज बैंसला उर्फ राजा व अभिषेक के साथ मिलकर **हरिशंकर उर्फ सोनू की सूचना पर सब्जी मंडी से सब्जी लाते समय रेकी कर**, विनीत ने हरीश की पत्नी संजू को जान से मारने की नियत से पीठ में गोली मारी थी, जिसमें मोटरसाइकिल राजा उर्फ राज चला रहा था। मेडिकल प्रपत्रों व डाक्टर के बयानों से भी स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की पत्नी संजू को फायर आर्म्स इंजरी आई है तथा संजू की चोटें व स्थिति गंभीर थी। **उक्त अपराध एक सुनयोजित प्रकार**

**व आपराधिक साजिश के तहत किया गया गंभीर प्रकृति का अपराध है।** अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त हरिशंकर उर्फ सोनू पुत्र रविन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2,
गाजियाबाद।